(164)

नि-2894-I-16

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

# न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर

श्री रामचन्द्र जी, लक्ष्मण जी, सीताजी उर्फ कमलानारायण निजी मंदिर कन्देली सरवराहकार –सुरेन्द्र कुमार त्रिवेदी आ. स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी निवासी राममंदिर रामवार्ड कन्देली नरसिंहपुर तहसील व जिला नरसिंहपुर .......... आवेदक

## बनाम

नर्मदा डेब्हलपर्स पार्टनर राजीव सुहाने आत्मज अशोक सुहाने निवासी रोटरी पार्क के बाजू में हाउसिंह वोर्ड कालोनी नरसिंहपुर तहसील व जिला नरसिंहपुर ......... अनावेदक

## निगरानी अन्तर्गत धारा 50 एवं धारा 129(4) म.प्र.भू.रा.सं.

श्री बी एम. साहू अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत 23/8/16

आवेदक वर्तमान निगरानी नाप प्रकरण कमांक 20अ/12 सन् 2015–16 श्रीमान नायब तहसीलदार नरसिंहपुर द्वारा नाप दिनांक 26/5/2016/ 30/5/2016 आदेश दिनांक 7/6/2016 से पीड़ित होकर निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत करता है जिसकी सूचना आवेदक/हितधारी को कभी नहीं दी तथा जानकारी होते ही नकल आवेदन दिनांक 23/6/2016 लगाया एवं नकल प्राप्ति दिनांक 23/6/2016 से विहित अवधि में प्रस्तुत की जा रही है ।

## तथ्य

1:– यह कि अनावेदक नर्मदा डेब्हलपर्स द्वारा स्वयं की जमीनें मोजा कन्देली नं.व. 36 प.ह.नं. 41 तहसील व जिला नरसिंहपुर में स्थित खसरा नबंर 275/1 रकवा 0.415 हेक्टैयर, खसरा नबंर 275/3 रकवा 0.603 हेक्टेयर, खसरा नबंर 275/4 रकवा 0.414 हेक्टैयर, खसरा नबंर 275/5 रकवा 0.603 हेक्टेयर कुल रकवा 2.035 हेक्टेयर के नाप हेतु दिनांक 25/4/2016 में आवेदन देना बताया गया है तथा राजस्व निरीक्षक व पटवारी द्वारा बिना किसी आदेश के नाप सूचना दिनांक 18/5/2016 को नाप दिनांक 21/5/2016 में किए जाने का बताया है जिसकी तामीली हितधारी व्यक्ति व आवेदक को कभी नहीं दी गई तथा नाप दिनांक 26/5/2016 व दिनांक 30/5/2016 में किया जाना बताते हुए प्रतिवेदन

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-2894-एक/16 **जिला** - नरसिंहपुर

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 25/02/2019 | आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को अनुविभागीय अधिकारी तह. व जिला नरसिंहपुर के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>सदस्य<br><br>**<u>अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर</u>** | |